सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या – 7/2017 (120/2012) (381/1997)

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. मोहन पुत्र नारायण माली
2. मु0 नन्दू पत्नि स्व. हरदेव माली
3. लादूराम पुत्र हरदेव माली
4. रतनलाल पुत्र हरदेव माली
5. गीता पुत्री हरदेव माली
6. समस्त निवासीगण बिसून्दनी तहसील केकड़ी हाल तहसील सावर जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र गोपाल माली
2. सीता पत्नि स्व . गोपाल दोराने दावा फोत जरिये वारिस
   - 2/1 – प्रेम देवी पुत्री स्व. गोपाल
   - 2/2 – सीता देवी पुत्री स्व. गोपाल
   - 2/3 – लाली देवी पुत्री स्व. गोपाल
   - 2/4 – छोटी देवी पुत्री स्व. गोपाल
3. धन्ना पुत्र कजोडमल महाजन निवासी बिसून्दनी फोत जरिये वारिसान
   - 3/1 – मु0 टोमा बेवा धन्नालाल फोत
   - 3/2 – चान्दमल पुत्र धन्नालाल फोत जरिये वारिसान
   - 3/2/1 – शांति देवी पत्नि चान्दमल
   - 3/2/2 – अनिल कुमार दत्तक पुत्र चान्दमल महाजन
   - 3/2/3 – चान्दबाई पुत्री धन्नालाल महाजन

   निवासीगण बिसून्दनी तहसील सावर
4. राधाकिशन पुत्र उंकार माली दोराने दावा फोत जरिये वारिस जगदीश पुत्र राधाकिशन का हिस्सा बैचान से–
   - 4/1 – कैलाश पिता रामकिशन
   - 4/2 – छोगा पिता रामकिशन

   जाति कुमावत निवासीगण सूरजपुरा
5. अमरावती पत्नि मूलचन्द दोराने दावा फोत जरिये वारिस
   - 5/1 – माणकचन्द पुत्र मूलचन्द महाजन
   - 5/2 – बाबूलाल पुत्र मूलचन्द महाजन जरिये बैचान नाथी देवी पत्नि रिद्धकरण निवासी कुशायता
6. हरकचन्द पुत्र जोरावर जाति महाजन दोराने दावा फोत
   - 6/1 – माणकचन्द पुत्र मूलचन्द
   - 6/2 – बाबूलाल पुत्र मूलचन्द
   - 6/3 – पुष्पादेवी पुत्री मूलचन्द
   - 6/4 – चम्पादेवी पुत्री मूलचन्द

   समस्त जाति महाजन निवासीगण बिसून्दनी तहसील सावर
7. राज. सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी हाल तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला अजमेर)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 जाप्ता दीवानी
निर्णय

दिनांकः—07.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कुशायता में पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना गया।

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151व 152 जाप्ता दीवानी का वास्ते प्रार्थी/वादी का पूर्व वाद संख्या 120/2012 (381/1997) के क्रम में पेश कर निवेदन किया कि वादी का पूर्व वाद संख्या 120/2012 (381/1997) में निर्णय दिनांक 22.06.2016 को मोहन बनाम महावीर में प्रार्थीगण का दावा खरिज कर दिया जबकि वादी का दावा पूर्व में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से पुनः समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुरूप निस्तारण किये जाने हेतु रिमाण्ड किया गया था जो श्रीमान के न्यायाल में मुकदमा नम्बर 120/2012 से निर्णित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 16.05.2001 व 24.12.2002 को प्रकरण संख्या 381/1997 को निरस्त करते हुए रिमाण्ड किया गया था किन्तु प्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 16.05.2001 के निर्णय डिक्री में संशोधन हेतु 152 का प्रार्थनापत्र पेश किया गया था जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा 24.12.2002 को किया गया था जिसमें पूर्व निर्णय की धाराओं का ही पुनः निर्णय कर दिया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। माननीया न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय के पश्चात इस न्यायालय द्वारा 22.06.2016 को पुनः निर्णित कर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय दावा खारिज कर दिया गया जिसमें प्रार्थी ने पुनः यह प्रार्थना पत्र धारा 151 व 152 जाप्ता दीवानी में पेश किया है जिसमें अप्रार्थीगण की जरिये रजिस्टर्ड तलबी करने पर भी बावजूद सूचना के ना तो स्वयं उपस्थित है ना ही उनका कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए है लिहाजा अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4, 6, 7 कोई हाजिर नही। ना ही उनके कोई क्रेतागण उपस्थित है लिहाजा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.10.2011 के आदेश में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2002 को अपास्त कर दिया है अतः प्रार्थी के पूर्व वाद संख्या 381/1997 का पुनः सुनवाई कर निर्णय किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष उसे पूर्व निर्णय दिनांक 24.12.2002 में दिया जा चुका है किन्तु प्रार्थीगण/वादीगण जानबूझकर इस वाद को लम्बित करने पर आमादा होने से यह प्रार्थनापत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही होने से खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 जाप्ता दीवानी का प्रार्थीगण अपने कथन को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 24.12.2002 में दिया जा चुका है। प्रार्थीगण अपना हक प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोरी हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थनापत्र फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी